



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 2948]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4040(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् :-

(क) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;

(ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) – पदेन सदस्य;

(ग) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) – पदेन सदस्य;

(घ) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) – पदेन सदस्य;

(ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो) – पदेन सदस्य;

(च) अध्यक्ष या उसका निर्देशिती, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;

(छ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार में आर्द्रभूमि की बाबत संयुक्त सचिव या सलाहकार – पदेन सदस्य;

(ज) डॉ. असद आर. रहमानी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार, बंबई नैचुरल हिस्ट्री सोसाईटी, पक्षीविज्ञान विशेषज्ञ – सदस्य;

(झ) प्रो. सी.के.वाष्णेय (सेवानिवृत्त), 88, वैशाली, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, पारिस्थितिकी विज्ञान विशेषज्ञ – सदस्य;

(ञ) डॉ. ई.जे.जेम्स, निदेशक (सेवानिवृत्त), जल संस्थान कारुण्या विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, तमिलनाडु, जल विज्ञान विशेषज्ञ – सदस्य; और

(ट) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आर्द्रभूमि सम्बन्धी कार्यनिर्वहन करने वाला निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक - सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण की अवधि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास के लिए होगी।

[फा.सं.जे-22012/31/2005-सीएस(डब्ल्यु)]

बृजेश सिक्का, वैज्ञानिक 'जी'.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2016

S.O. 4040 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the Central Wetlands Regulatory Authority, consisting of the following members, namely:

- (a) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Chairperson;
- (b) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Tourism, Government of India- Member- *ex-officio*;
- (c) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member- *ex-officio*;
- (d) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member- *ex-officio*;
- (e) A representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member- *ex-officio*;
- (f) Chairman, Central Pollution Control Board or his nominee, - Member- *ex-officio*;
- (g) Joint Secretary or Adviser, dealing with the wetlands in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India- Member- *ex-officio*;
- (h) Dr. Asad R. Rahmani, Senior Scientific Adviser, Bombay Natural History Society, expert in Ornithology- Member;
- (i) Prof. C.K. Varshney (Retd.), 88, Vaishali, Pitampura, New Delhi-110034, Expert in Ecology- Member;
- (j) Dr. E.J. James, Director (Retd.), Water Institute, Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, Expert in Hydrology- Member; and
- (k) Director or Additional Director or Joint Director dealing with the Wetland in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Member Secretary.

2. The term of the Authority shall be two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. J-22012/31/2005-CS (W)]

BRIJESH SIKKA, Scientist 'G'